न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम० के० सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक २०८/दो/२००८ विरूद्ध आदेश दि. ११.०१.२००८ पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक २००६-०७ अपील

महावीर पुत्र अकबर प्रसाद ब्राहमण
ग्राम प्रतापपुरा तहसील अटेर, भिण्ड ---आवेदक

विरूद्ध

१- मुन्नालाल उर्फ प्रदुम्न कुमार पुत्र राधामोहन ब्राहमण
निवासी ग्राम प्रतापपुरा , तहसील
अटेर जिला भिण्ड ---असल अनावेदक

२- रामलच्छिन ३- रामसेवक पुत्रगण अकबर प्रसाद
जाति ब्राहमण दोनों निवासी ग्राम प्रतापपुरा , तहसील
अटेर जिला भिण्ड --- तरतीवीं अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री अजीत शर्मा)
(अनावेदक क्र-१ के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक १८-१०-२०१५ को पारित)

नायव तहसीलदार वृत्त-४ तहसील मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक १४/२०१३-१४ अ-६ में पारित आदेश दिनांक १७-१०-२०१४ के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

२/ प्रकरण का सारॉश यह है कि असल अनावेदक मुन्नालाल उर्फ प्रदुम्न कुमार ने तहसीलदार अटेर के समक्ष संहिता की धारा ११० के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम छिड़ियापुरा मुकाम प्रतापपुरा मौजा रिदोली स्थित भूमि सर्वे क्रमांक १४४१ , १४४२, १५३०, १५३२ कुल किता ४ की मृतक महिला सोमोता एंव रामलखन, महावीर, रामसेवक हिस्सा १/४ के भूमिस्वामी थे । सोमेता ने अपने हिस्से की भूमि वारिसाना हक में इच्छापत्र संपादित करके उसे प्रदान की है अब उनकी मृत्यु हो चुकी है इसलिये नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार अटेर ने प्रकरण क्रमांक

७-१०-०४ से आवेदक की साक्ष्य का हक समाप्त कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक १२/०३-०४ निगरानी में पारित आदेश दिनांक ११-७-०५ से निगरानी स्वीकार की गई एंव प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की साक्ष्य एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ। तहसीलदार व्दारा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई उपरांत प्रकरण क्रमांक २८/२००२-०३ अ-६ में आदेश दिनांक २४.१०.२००५ पारित किया तथा असल अनावेदक मुन्नालाल का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अटेर के समक्ष अपील क्रमांक ६/२००५-०६ प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक २-७-२००७ से अपील निरस्त कर तहसीलदार के आदेश दिनांक २४.१०.२००५ को स्थिर रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक १६५/२००६-०७ में पारित आदेश दिनांक ११-०१-२००८ से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

३/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक एंव अनावेदक क्र-१ के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

४/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह पाई गई कि तहसील न्यायालय में अपीलांट ने बताया है कि मृतक महिला सोमोता अंतिम समय में रामलक्षिण के साथ रहने लगी थी। कूट परीक्षण के दौरान यह भी स्वीकारोक्ति दी गई है कि बसीयत पर मृतक महिला सोमोता के निशानी अंगूठा हैं। मरने के वाद महिला सोमोता की अर्थी भी रामलक्षिण के घर से उठना अपीलांट ने कथनों में बताया है। तहसील न्यायालय में साक्षीगण के कथनों से बसीयत लिखी जाना प्रमाणित हुआ है जिसके कारण तहसीलदार ने आदेश दिनांक २४.१०.२००५ में विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष निकालते हुये महिला सोमोता के हिस्से पर उसके बेओलाद फोत होने से बसीयत के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने प्रकरण

क्रमांक ६/२००५-०६, अपील में पारित आदेश दिनांक २-७-२००७ में तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक १६५/२००६-०७ में पारित आदेश दिनांक ११-०१-२००८ में तहसीलदार के आदेश दिनांक २४.१०.२००५ को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। फलतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती होना पाये गये हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

५/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक १६५/२००६-०७ में पारित आदेश दिनांक ११-०१-२००८ विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम०के०सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर